136/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/10/2020	~~पत्रावली पेश। जरिये मिसलवान एवं रेस्पो.सं.1 के अधिवक्ता उपस्थित। राजीनामा प्रार्थना-पत्र पर बहस हेतु रेस्पो. सं.1 के अधिवक्ता द्वारा समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते राजीनामा प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु दिनांक 15/10/2020 को पेश हो।~~ [हस्ताक्षर]	
देवीलाल (धनराज कड़वासरा) अजाराम पहचान कर्ता [हस्ताक्षर] (आनंद सिंह चौधरी) (वकील ~~अपीलांट~~ रेस्पोंडेंट) मूलाराम (अपीलांट सं.1) खेताराम (अपीलांट सं.2) [हस्ताक्षर] (मोतबिर) [हस्ताक्षर] (मोतबिर) [हस्ताक्षर] राजगोपाल एड. (वकील ~~रेस्पोंडेंट~~ अपीलांट)	15/X/2020 पत्रावली मुताबिक आदेश पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अपीलांट पक्ष की ओर से देवीलाल तथा खेताराम व मूलाराम ~~[illegible]~~ रेस्पोंडेंट पक्ष की तरफ से उपस्थित। उभय पक्ष के साथ मौतबिरान भी उपस्थित। उभय पक्ष के बीच लोक अदालत की भावना के तहत समझाइश की गई। मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा कर दिये जाने का प्रस्ताव रखा गया जिसे उभय पक्ष ने सहज स्वीकार कर "विभाजन प्रस्ताव" तैयार कर उस पर चर्चा व विचार-विमर्श का सुझाव दिया। नक्शा ट्रेस (P-35/174 दि. 14.8.2020) का न्यायालय हाजा में ही उभय पक्ष की ओर से बताए गए कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन करने हेतु भू प्रबंध विभाग के SM (सर्वे मुंसरिम) को बुलाकर अवलोकन कराया, रकबा-बराबरी करवाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर उभय पक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जो परिशिष्ट "अ" है। इस विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट पक्ष का 1/2 हिस्सा व रेस्पो सं. 1 का 1/2 हिस्सा मुताबिक राजस्व अभिलेख होने एवं मौके पर कब्जा काश्त के अनुरूप होने से उभय पक्ष द्वारा स्वीकार कर उस पर हस्ताक्षर किये गए जिसे इस निर्णय का अभिन्न अंग माना जाकर शामिल पत्रावली किया गया। [हस्ताक्षर] P.T.O.	

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

इस विभाजन प्रस्ताव को उपस्थित मौतबिरान के समक्ष सहज स्वीकृति दी जाकर इसके अनुसार ही मामले का निस्तारण न्यायालय हाजा स्तर पर ही किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली की आदेशिका तथा विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष, इनके अभिभाषकगण तथा मौतबिरान ने इस स्वीकृति को अंगीकार करते हुए अपने-2 हस्ताक्षर किये हैं। लिहाजा इस विभाजन प्रस्ताव को लोक अदालत की भावना व सहमति के मद्देनजर स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि ग्राम पेंपालिहनगर के खेत ख.नं० 824 रकबा 9-14 बीघा तथा खसरा नंबर 2168 रकबा 13-04 बीघा का वादी एवं प्रतिवादीगण (प्रत्यर्थी क्र.1 व अपीलांट क्र. 1 व 4) के मध्य 1/2-1/2 हिस्सा विभाजित करना उचित है। लगान तदनुसार बराबर-2 विभाजित होगा)

उपरोक्त विवेचन, उभय पक्ष की सहमति के अनुरूप विभाजन प्रस्ताव "परिशिष्ट अ" के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर वादग्रस्त भूमि के विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बालेसर इस निर्णय के साथ विभाजन प्रस्ताव परिशिष्ट अ" में दर्शाए हिस्से मुताबिक राजस्व नक्शा में तरमीम कर इसका राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद करे तथा नामांतरकरण की पुश्त पर परिशिष्ट अ" के अनुसार तरमीम अक्स भी अंकित कर सत्यापित करे। मुरब्बा तरमीम की जाकर पालना करे। अधीनस्थ न्यायालय इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मामले का निस्तारण समझकर पत्रावली फैसल शुमार करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास उभय पक्ष की उपस्थिति में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 15/XI/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर